

छात्रावास कोटेशन की शर्तें

- 1- कोटेशन संलग्न सूची के अनुसार होने आवश्यक हैं।
- 2- कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से ही स्वीकार किये जायेंगे।
- 3- अधोहस्ताक्षरी बिना कारण बताये किसी या सभी कोटेशनों को अस्वीकृत/निरस्त कर सकते हैं।
- 4- सभी कोटेशनों पर अन्तिम निर्णय अधोहस्ताक्षरी का मान्य होगा।
- 5- छात्रों के खाने में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।
- 6- मेस के अन्दर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा।
- 7- मेस चलाने वाले व्यक्ति के पास फुड लाईसेन्स होना आवश्यक है।
- 8- आवेदक का टेण्डर नियमानुसार मेस संचालन हेतु स्वीकृत होने पर, आवेदक द्वारा मेस बन्धक राशि रु0 13,500/- (तेरह हजार पाँच सौ) प्रधानाचार्य, स्व0जनरल बी0सी0जोशी, राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक, ताकुला के नाम एन0एस0सी0 के रूप में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

प्रधानाचार्य

प्रधानाचार्य,
स्व0 जनरल विपिन चन्द्र जोशी
राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक,
ताकुला

प्रधानाचार्य: स्व०जनरल बी०सी० जोशी, राजकीय ग्रामीण पॉलीटेक्निक, ताकुला

संस्था में मेस/कैंटीन सेवा हेतु निविदा फार्म का प्रारूप

समय के अनुसार दिया जाना वाले आहार के सांकेतिक/सामान्य मेन्यू का वर्णन किया गया है।
अनुबन्ध काल में आहार की मात्रा जो कितनी भी हो सकती है का वर्णन नहीं किया गया है।

क्र०सं०	दिन	सुबह का नाश्ता	दिन का भोजन	रात्रि का भोजन
01.	सोमवार	आलू पराठा, दही, अचार	अरहर दाल, मौसमी सब्जी, रोटी चावल एवं सलाद	चना लौकी, मूंगदाल, खीर, चपाती, चावल
02.	मंगलवार	पूरी, सब्जी, चाय	काबुली चना, मिक्स सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	मसूर दाल, आलू, मटर, टमाटर, रोटी, चावल
03.	बुद्धवार	छोले भटूरे, चाय	राजमा, बैंगन भर्ता, रोटी, चावल, सलाद	वेज पुलाव, दही रायता, आलू बीन, सब्जी, रोटी
04.त्र	वृहस्पतिवार	ब्रेड पकौड़ा, चाय	चने की दाल, लौकी कोपता, चावल, रोटी, सलाद	अरहर मल्का दाल, मिक्स सब्जी, रोटी, चावल
05.	शुक्रवार	समोसा, चाय	उड़द दाल, सोया बड़ी, रोटी, चावल, सलाद	गोभी सब्जी, चना दाल, चावल, रोटी
06.	शनिवार	ब्रेड बटर, चाय	कढ़ी पकौड़ा, चावल, रोटी, सलाद	राजमा, मिक्स सब्जी, मिक्स दाल, रोटी, चावल
07.	रविवार	बन्द मक्कखन, चाय	शब्जी मिक्स, दाल मिक्स, सलाद, रोटी, चावल	पनीर, सब्जी, पूरी, रोटी, चावल

उक्त के अतिरिक्त सायंकालीन 5:00 बजे से 6:00 बजे के मध्य चाय के साथ रिफ्रेशमेंट देना आवश्यक है।

उपरोक्त मेन्यू अस्थाई है और अनुबन्धकर्ता और छात्रावास मेस कमेटी के आपसी सहयोग से परिवर्तित किया जा सकता है।

प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की दर घोषित करें-----

जी०एस०टी० यदि लागू है तो जोड़ें -----

योग अंकों में -----

योग शब्दों में -----

दिनांक:-----